(नियम 26)

न्यायालय : सहायक कलेक्टर चितलवाना

वादी

बनाम

प्रतिवादी

लाचक्का बलद हंजा, कौम - राजपूत, नि० - खेजड़ीवाली, तह० - चितलवाना

सरकार जरिये श्रमिक तहसीलदार चितलवाना

विषय प्रकरण : धारा 88, 188 रा0का0अधि0 1955

सूचना संख्या : 18/18 वर्ष : 2018

2018/002

तारीख हुक्म	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
13/6/18	वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 88, 188 RT Act के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया, कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को सम्मन जारी हो, पत्रावली दिनांक 13/6/18 को पेश हो।	
13/6/18	पत्रावली प्रस्तुत, वादी के वकील ने उपस्थित होकर वादी को नोटप्रेस का पुनः वाद पेश करने की इजाजत के दावा जरिये नोटप्रेस खारिज करने का निवेदन किया, जिस पर सुना गया। अतः न्यायोचित में वादी को पुनः वाद लाने के हक को सुरक्षित रखते हुए उक्त दावा जरिये नोटप्रेस के खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार एवं नम्बर के कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 13/6/18	पेश वाद पेश करने की इजाजत के साथ ~~[illegible]~~ यह वादी जरिये वकील Note Press के खारिज करता है